

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्रीमति टीना डबी, आई.ए.एस.
नम्बर-194/2018 प्रार्थना पत्र
काल पिता गिरधारी माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्राथी

बनाम

सुशील कुमार पिता हनुमंत सिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
दिलीप कुमार पिता हनुमंत सिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ति कुसुम पुत्री हनुमंत सिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ति करुणा पुत्री हनुमंत सिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ति कंचन कुमारी पत्नि हनुमंत सिंह राजपूत, उम्र बालिग पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
भरतसिंह पिता चतरसिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
हिम्मत सिंह पिता चतरसिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
विमलकुमार पिता चतरसिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
निर्मल पिता चतरसिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
अरूण पिता चतरसिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
मति सुधा पुत्री चतरसिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
मति विमला पुत्री चतरसिंह महाजन, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-8.2.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर हल्का पुर भू-अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बिस्वा 3 बिस्वांशी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित ज़्यादा के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने परण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण र्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.7.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल नी किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 12 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 29.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का पारित किया गया। विपक्षी संख्या 13 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली गये। विपक्षी संख्या 13 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित होने के कारण दिनांक 4.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने
काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में
कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू-अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला
में स्थित हाल आराजी नम्बर 2056/1 रकबा 4 बिस्वा 3 बिस्वांशी भूमि की सीमा जानकारी
लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख
पुर को 300/-रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।
कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की
दानी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को
ना हेतु लिखा जावें।


(टीना डाबी)

आई ए एस,
उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया


उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा